



## International Journal of Research in Academic World



Received: 10/April/2025

IJRAW: 2025; 4(5):196-198

Accepted: 17/May/2025

# नई शिक्षा नीति 2020: भारतीय शिक्षा के आधुनिकरण की शुरुआत

\*<sup>1</sup>सुमन\*<sup>1</sup>सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, चैं. ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय, ढाड, डीडवाना, कैथल, हरियाणा, भारत।

### सारांश

भारतीय शिक्षा प्रणाली ने सदैव ज्ञान के प्रसार और नैतिक मूल्यों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु वैश्विक स्तर पर हो रहे तीव्र सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के बीच एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई, जो आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) को लागू किया गया। यह नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन, बहु-विषयकता, और समावेशिता जैसे मूल्यों को समाहित करते हुए व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। NEP 2020 पारंपरिक शिक्षा मॉडल को पीछे छोड़ते हुए छात्रों को अपनी रुचियों के अनुरूप विषयों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान करती है। रूढ़ि आधारित शिक्षा प्रणाली से हटकर यह नीति अनुभव-आधारित अधिगम पर जोर देती है, जिसमें परियोजना-आधारित कार्य और व्यावहारिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रौद्योगिकी के एकीकरण को बढ़ावा दिया गया है ताकि डिजिटल संसाधनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के दूरस्थ कोनों तक पहुंच सके। शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें नवीन तकनीकों और शिक्षण विधियों में दक्ष बनाया जा रहा है। मूल्यांकन प्रणाली को पुनः परिभाषित कर छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (ECCE) से लेकर उच्च शिक्षा तक, नीति हर चरण में सुधार की दृष्टि रखती है। भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन को भी विशेष महत्व दिया गया है। NEP 2020 एक समावेशी, प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।

**मुख्य शब्द:** लचीलापन, बहु-विषयकता, अनुभव-आधारित अधिगम, प्रौद्योगिकी, समावेशिता आदि।

### प्रस्तावना

भारत की शिक्षा प्रणाली का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय विश्वविख्यात थे, जहाँ विश्वभर से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों का विकास और जीवन के लिए सम्पूर्ण तैयारी करना था। कालांतर में विदेशी आक्रमणों, उपनिवेशवाद और सामाजिक बदलावों के चलते यह समृद्ध व्यवस्था धीरे-धीरे कमजोर होती चली गई और औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की गई जो प्रशासनिक नौकरियों के लिए कर्मचारी तैयार करने तक सीमित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए, परंतु इन सुधारों के बावजूद यह अनुभव किया गया कि शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता के उत्तर में वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो कि पिछले 34 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने वाली पहली नीति है।

नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को केवल परीक्षा और अंकों की दौड़ से निकालकर उसे जीवनमूल्यों, रचनात्मकता, शोध, नवाचार और कौशल विकास की ओर ले जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है जो न केवल वैश्विक मानकों पर खरी

उतरती हो, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता और सामाजिक समरसता को भी समाहित करती हो। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण की चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि “नई शिक्षा नीति भारतीयता और वैश्विकता के संतुलन का प्रयास है” (कुमार 170)। इस नीति में शिक्षा को समग्र रूप से देखने का प्रयास किया गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समान रूप से महत्व दिया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में गहराई से भारतीय होने का गर्व पैदा करना है। नीति कहती है, “नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल विचारों में ही नहीं बल्कि आत्मा, बुद्धि और कर्मों में भी भारतीय होने का गहरा गर्व उत्पन्न करना है, साथ ही ऐसे ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों का विकास करना है जो मानवाधिकारों, सतत विकास और वैश्विक भलाई के प्रति उत्तरदायी प्रतिबद्धता का समर्थन करें” (Ministry of Education 3)। यह उद्धरण दर्शाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि एक सशक्त, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक का निर्माण करना है। नीति में यह मान्यता दी गई है कि प्रत्येक विद्यार्थी में विशिष्ट प्रतिभा होती है जिसे अनुकूल वातावरण देकर विकसित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और उन्हें ‘सुविचारित ज्ञान प्रदाता’ के रूप में प्रतिष्ठित करने की बात कही गई है। शिक्षक-

प्रशिक्षण, पेशेवर विकास, स्वायत्तता और प्रेरणा को बढ़ावा देने हेतु अनेक उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। डिजिटल तकनीक, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

नई संरचना 5+3+3+4 में शिक्षा को विभाजित कर विकासत्मक अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को ढालने का प्रयास किया गया है। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु को 'फाउंडेशनल स्टेज', 8 से 11 को 'प्रिपरेटरी स्टेज', 11 से 14 को 'मिडल स्टेज' और 14 से 18 को 'सेकेंडरी स्टेज' में रखा गया है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त मानी गई है क्योंकि यह बालक की संज्ञानात्मक क्षमताओं, जिज्ञासाओं और सीखने की शैली को ध्यान में रखती है। इससे पूर्व के कठोर और एकरूप पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक लचीली और रुचिकर शिक्षा प्रणाली विकसित होती है। इस नीति के अंतर्गत बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया है और प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में impart करने की सिफारिश की गई है। इससे बच्चों को अपने परिवेश से सहज रूप से जुड़ने में सहायता मिलेगी और वे जटिल अवधारणाओं को भी आसानी से समझ सकेंगे। इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। यह दृष्टिकोण भाषाई समावेशिता को प्रोत्साहित करता है और भारत की भाषायी विविधता को शिक्षा के माध्यम से संरक्षित करता है। शिक्षा का उद्देश्य अब केवल नौकरियाँ प्राप्त करने तक सीमित नहीं रह गया है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज की दुनिया में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो समस्याओं को पहचान सकें, समाधान सुझा सकें, टीम में काम कर सकें, और अनिश्चितताओं से जूझने में सक्षम हों। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में ये सभी क्षमताएँ विकसित करने पर जोर देती है। इसके लिए पाठ्यचर्या को पुनः संरचित किया गया है जिसमें रटामार पद्धति को त्यागकर जिज्ञासाभरित, विश्लेषणात्मक और प्रायोगिक शिक्षण को प्रोत्साहन मिला है। विद्यार्थियों को कला, संगीत, खेल, नैतिक शिक्षा, और सामुदायिक सेवा जैसे सह-पाठ्यक्रमों से भी जोड़ने की बात कही गई है ताकि उनका बहुमुखी विकास हो सके। नीति में कहा गया है कि शिक्षा को समावेशी और न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँच सके। इसके लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं। डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने हेतु ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन' (NDEAR) की परिकल्पना की गई है।

### उच्च शिक्षा नीति का समाज शास्त्रीय विश्लेषण

उच्च शिक्षा नीति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षा समाज का निर्माण करती है और समाज शिक्षा का प्रतिबिंब भी होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को लेकर जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, वह केवल अकादमिक और प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके समाजशास्त्रीय प्रभाव भी गहरे और व्यापक हैं। नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा को समावेशी, बहु-विषयक, और लचीला बनाने पर बल देती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता, समानता, और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा देने का कार्य कर सकता है। जब शिक्षा केवल विशेष वर्ग या सामाजिक समूह तक सीमित रहती है, तो वह सामाजिक असमानता को स्थायी बना देती है। लेकिन जब शिक्षा प्रणाली में विविधता, पहुँच और समावेशिता को स्थान दिया जाता है, तो यह समाज में अवसरों की समानता को बढ़ावा

देती है। नई नीति के अंतर्गत ग्रेस एनरोलमेंट रेशियो' (GER) को बढ़ाकर 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार उच्च शिक्षा को व्यापक जनसंख्या तक पहुँचाने हेतु प्रतिबद्ध है। यह लक्ष्य केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है, जिससे हाशिए पर खड़े समुदायों को भी ज्ञान और अवसरों की समान पहुँच मिल सकेगी। उच्च शिक्षा में 'बहु-विषयक संस्थानों की स्थापना और स्नातक पाठ्यक्रमों को लचीला बनाना, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक संरचनात्मक परिवर्तन है। यह उन पारंपरिक खॉचों को तोड़ता है जिनमें विद्यार्थियों को विज्ञान, कला या वाणिज्य के सीमित दायरे में बाँध दिया जाता था। यह परिवर्तन विद्यार्थियों की स्वायत्तता को बढ़ाता है और उन्हें सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के अनुरूप बहुस्तरीय कौशल अर्जित करने में सक्षम बनाता है। नीति में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना का प्रस्ताव शिक्षा की निगरानी और नियमन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व की दिशा में एक संस्थागत सुधार है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो इससे शिक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और यह शिक्षा को एक सार्वजनिक उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा। नई शिक्षा नीति अनुसंधान और नवाचार पर भी विशेष बल देती है। 'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान' (NRE) की स्थापना से यह सुनिश्चित किया गया है कि अनुसंधान केवल वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर सामाजिक विज्ञान, मानविकी और समाजशास्त्र जैसे क्षेत्रों में भी सशक्त रूप से हो। इससे समाज के गहन अध्ययन, सामाजिक समस्याओं के समाधान और नीति निर्माण में सुधार की संभावना बढ़ती है। समाजशास्त्रीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उच्च शिक्षा को अब सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना गया है। इससे पहले शिक्षा प्रणाली को केवल 'बाजार' की मांग के अनुसार तैयार किया जाता था, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं, बल्कि एक विवेकशील, उत्तरदायी और संवेदनशील नागरिक तैयार करना भी है। यह दृष्टिकोण सामूहिक चेतना और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। नई शिक्षा नीति में 'ऑनलाइन शिक्षा', 'ओपन डिस्टेंस लर्निंग', और 'डिजिटल यूनिवर्सिटी' जैसे नवाचार समाज में डिजिटल विभाजन (digital divide) की समस्या को दूर करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। हालांकि, यदि इस प्रक्रिया में तकनीकी संसाधनों तक पहुँच को समान नहीं बनाया गया, तो यह नई प्रकार की असमानताओं को जन्म दे सकती है। अतः सामाजिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि नीतिगत कार्यान्वयन में समरसता और समानता सुनिश्चित की जाए।

### चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जहाँ एक ओर दूरदर्शी और परिवर्तनकारी कहा गया है, वहीं दूसरी ओर इसकी कई व्यावहारिक चुनौतियाँ और आलोचनाएँ भी सामने आई हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा की ओर संकेत करते हैं, परंतु इन परिवर्तनों को लागू करने की प्रक्रिया अनेक स्तरों पर कठिनाइयों से घिरी हुई है। इन चुनौतियों का समाजशास्त्रीय, संरचनात्मक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से गहन विश्लेषण आवश्यक है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की उपलब्धता की है। नीति में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित करने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए जिन शैक्षणिक, भौतिक, और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, वे वर्तमान में अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों के पास नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में बुनियादी ढाँचे की कमी, योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता और तकनीकी संसाधनों की सीमितता इस परिवर्तन को अव्यावहारिक बना सकती है। नई नीति के अंतर्गत प्रस्तावित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को लेकर भी कई

विद्वानों ने प्रश्न उठाए हैं। इससे छात्रों पर आर्थिक भार बढ़ने की आशंका है, विशेषतः गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए, जिनके लिए उच्च शिक्षा का एक वर्ष अधिक पढ़ना संभव नहीं हो पाता। इस परिप्रेक्ष्य में यह नीति सामाजिक समानता के मूल उद्देश्य के विपरीत प्रतीत होती है, “शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा—NCFTE 2021—NCTE द्वारा NCERT की सलाह से तैयार किया जाएगा” (Ministry of Education 23)।

उच्च शिक्षा में 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' और 'क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम' जैसे नवाचारों के लिए तकनीकी बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है, जो वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में अनुपलब्ध है। इससे डिजिटल डिवाइड और तकनीकी असमानता और गहरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों के बीच समन्वय की कमी और नौकरशाही प्रक्रिया इस प्रणाली को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। नीति में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, परंतु इसके लिए जिस तरह की वित्तीय सहायता, अकादमिक स्वायत्तता और प्रशासनिक लचीलापन चाहिए, वह देश के सभी संस्थानों को समान रूप से प्राप्त नहीं है। इससे यह संभावना बनती है कि केवल बड़े और शहरी संस्थान ही इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएँगे, जबकि ग्रामीण और नवोदित संस्थान पिछड़ते रहेंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीति में शिक्षा के निजीकरण की आशंका भी प्रकट की गई है। जब शिक्षा को गुणवत्ता आधारित प्रतिस्पर्धा और 'ग्लोबल स्टैंडर्ड' के नाम पर निजी क्षेत्र के हवाले किया जाता है, तो इससे गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुँच और अधिक कठिन हो सकती है। शिक्षा यदि केवल बाजार आधारित मूल्य पर आधारित हो जाती है, तो यह सामाजिक असमानता को और गहरा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, नई शिक्षा नीति की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इसमें कार्यान्वयन के स्पष्ट रोडमैप और ठोस रणनीतियाँ अनुपस्थित हैं। नीति में प्रस्तावित अधिकांश परिवर्तन दूरगामी और व्यापक हैं, परंतु उन्हें लागू करने हेतु राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय संस्थानों के बीच समन्वय, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षित मानव संसाधन की अनुपस्थिति में ये प्रस्ताव केवल कागज़ों तक सीमित रह सकते हैं। भाषा को लेकर भी आलोचना की जाती है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रावधान अच्छी पहल है, परंतु उच्च शिक्षा के स्तर पर यह कितनी व्यावहारिक है, यह एक बड़ा प्रश्न है। तकनीकी, चिकित्सा, प्रबंधन जैसे विषयों के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकों और सामग्री का अभाव, इस दिशा में एक गंभीर अड़चन है। “भारत को 2040 तक ऐसा शिक्षा तंत्र प्राप्त करना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम हो, और जिसमें सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ हो” (Ministry of Education 4)। यह दृष्टिकोण शिक्षा को सामाजिक न्याय का माध्यम बनाता है, जहाँ सभी को समान अवसर देने की बात की जाती है।

## निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक युगांतकारी पहल है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास करती है, बल्कि एक समावेशी, लचीली, और बहु-विषयक संरचना के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखती है। नीति में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और शोध तक की समग्र दृष्टि अपनाई गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को केवल ज्ञान का हस्तांतरण न मानकर उसे मानव विकास, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ना है। हालाँकि नीति में दूरदर्शिता है, किंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कितनी

प्रभावशाली और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाता है। क्रियान्वयन में संसाधनों की पूर्ति, तकनीकी पहुँच, शिक्षक प्रशिक्षण, और सामाजिक जागरूकता जैसी आवश्यकताएँ अनिवार्य हैं। इस नीति के द्वारा भारत में न केवल अकादमिक सुधार की संभावना है, बल्कि सामाजिक समरसता, लैंगिक समानता, और आर्थिक समावेशन की दिशा में भी यह एक सशक्त आधार बन सकती है- यदि इसे केवल दस्तावेज़ न मानकर संवाद और संकल्प के रूप में देखा जाए।

## संदर्भ सूची

1. कुमार, विरेन्द्र। शिक्षा का भारतीय परिप्रेक्ष्य। दिल्ली: भारत पब्लिकेशन, 2021, पृ. 165–182।
2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)। नई दिल्ली: एमएचआरडी प्रकाशन, 2020, पृष्ठ 20-401
3. सिंह, शैलेंद्र कुमार। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली: समस्याएँ और संभावनाएँ। वाराणसी: ज्ञानदीप प्रकाशन, 2019, पृष्ठ 87-112.
4. मिश्रा, अजय। नई शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण", समाज विज्ञान समीक्षा, खंड 32, अंक 3, 2021, पृष्ठ 45-591
5. Joshi, Rakesh. Higher Education in India: Retrospect and Prospect, New Delhi: Regal Publications, 2018, 134-158.
6. Dubey, Asha & Mehta, Nivedita. "NEP 2020 and Its Implementation Challenges", *Journal of Educational Policy and Research*. 2021; 6(2):22–37.
7. National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA). Draft Report on Implementation Strategy for NEP 2020. New Delhi: NIEPA, 2021, 50–72.
8. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021: Non-State Actors in Education. Paris: UNESCO Publishing, 2021, 88–104.
9. Mehrotra, Santosh. "The Political Economy of Education Reform in India", *Economic and Political Weekly*. 2021; 56(10):35–41.
10. Sen, Amartya. *The Argumentative Indian*. London: Penguin Books, 2005, 250–265
11. Ministry of Education, Government of India. National Education Policy 2020. Government of India, 2020.